WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

MASIK PATRIKA

SEPTEMBER 2021

Address- WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
BOMBAY BAZAR, NEAR HANUMAN CHOWK, MEERUT CANTT- 250001 (U.P.) INDIA
Phone No. 0121- 2661238, 2661177; **Fax:** 0121-2661685
E-mail: wupcc@rediffmail.com **Website:** www.wupcc.org

- **Patron**
  Dr. Mahendra Kumar Modi

- **President**
  Dr. Ram Kumar Gupta

- **Sr. Vice President**
  Shri Shashank Jain

- **Jr. Vice President**
  Shri Lokesh Kumar Singhal, Hapur
  Shri Neel Kamal Puri, Muzaffarnagar

- **Secretary / Editor**
  Ms. Sarita Agarwal

Patrika Committee

- **Chairman**
  Shri Rahul Das

- **Co-Chairman**
  Shri Sushil Jain

- **Members**
  Shri Manoj Kumar Gupta (Hapur)
  Shri Rakesh Kohli
  Shri Trilok Anand
  Shri Rajendra Singh
  Shri G.C. Sharma
  Shri Atul Bhushan Gupta

- **Co-Editor**
  Mr. Manish Kumar

INDEX

- केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिला वेस्टर्न यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रतिनिधिमंडल
- वेस्टर्न यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हुई बैठक में, एमडी पावर ने सुनी उद्यमियों की समस्याएं
- सोलर रूफटॉप योजना का लाभ ले उपभोक्ता
- 6 लाख करोड़ रुपये की संपत्तियां लीज पर देगी सरकार, वित्त मंत्री ने लॉन्च की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन
- आरबीआई के नीतिगत दर को निचले स्तर पर बरकरार रखने से कंपनियों का भरोसा बढ़ेगा: उद्योग
- लॉकर से सामान हुआ चोरी तो मिलेगा हर्जाना, किराए का 100 गुना तक मिलेगा पैसा
- SBI दे रहा है सस्ता लोन! Car, Gold Loan पर घटाई ब्याज दरें, प्रोसेसिंग फीस भी माफ
- अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उनके लोन का क्या होता है, किसे देने होते हैं बाकी पैसे?
- Cyber Fraud में लुटे लोगों को 24 घंटों में वापस मिलेगा पैसा, तरीका जान लीजिए
- Retrospective Tax Law: खत्म होगा 9 साल पुराना विवादित टैक्स कानून, कैबिनेट के बाद अब लोकसभा से भी मिली मंजूरी
- आयकर विभाग को देनी होगी पूंजीगत लाभ व ब्याज की जानकारी
- कर्मचारियों से कैंटीन सुविधा के लिए वसूले गए शुल्क पर जीएसटी नहीं लगेगा : एएआर
- GST रिटर्न नहीं भरा है तो 15 अगस्त से ई-वे बिल नहीं होगा जेनरेट
- नोएडा का होगा कायाकल्प, 812 एकड़ में बनेंगे दो एमएसएमई पार्क
- भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग स्थापित करने में मदद करेगी सरकार: गोयल
- FM launches Ubharte Sitaare Fund
- e-SHRAM Portal: 38 करोड़ वर्कर्स को मिलेगी पहचान, मुफ्त होगा रजिस्ट्रेशन
- ईएसआईसी में आ सकते हैं 30 हजार रुपये वेतन पाने वाले कर्मचारी
- स्क्रैप पालिसी में आपका क्या फायदा
- अमेजन और फ्लिपकार्ट के पर कतरने की तैयारी खत्म होगा मोनोपॉली

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिला वेस्टर्न यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रतिनिधिमंडल

हाईवे के किनारे इंडस्ट्रीज के लिए मांगी जमीन

केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी जी से चैम्बर का एक प्रतिनिधिमंडल मिला। उन्होंने मेरठ की इंडस्ट्रीज के लिए हाईवे किनारे औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की मांग की।

चैम्बर के पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले 25 साल में मेरठ की इंडस्ट्रीज के लिए कोई जगह नहीं मिली है। ऐसे में दिल्ली-मेरठ हाईवे के किनारे मल्टीपर्पज पार्क, लॉजिस्टिक पार्क, औद्योगिक कलस्टर बनाने की मांग की। उन्होंने यह सुझाव दिया कि मेरठ परतापुर रोड पर कई शिक्षण संसथान है। वहां पर काफी जगह खाली पड़ी है। इस जगह को भी इंडस्ट्रीज के लिए आवंटित कर दिया जाए तो क्षेत्र का विकास होगा। प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री को मेरठ एक्सप्रेस-वे के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही मेरठ आने के लिए निमंत्रण पत्र भी दिया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मेरठ एक्सप्रेस-वे के उद्घाटन पर वह संभवतः मेरठ आएंगे। फिर चैम्बर में भी बैठक के लिए आ सकते है। प्रतिनिधिमंडल चैम्बर के डॉ राम कुमार गुप्ता, श्री शशांक जैन, श्री जेके गुप्ता व श्री अतुल भूषण गुप्ता रहे। डॉ राम कुमार गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री को श्री भागवत गीता और हनुमान चालीसा की पुस्तक भेट की।

वेस्टर्न यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हुई बैठक में, एमडी पावर ने सुनी उद्यमियों की समस्याएं

वेस्टर्न यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में उद्यमियों की विद्युत समस्याओं को लेकर 7 सितम्बर को एक बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में विद्युत एमडी श्री अरविन्द मल्लप्पा बंगारी जी ने अपनी पूरी टीम के साथ प्रतिभाग किया और उद्यमियों की समस्याएं सुनी और उनके निस्तारण का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी को कोई शिकायत है तो वह विद्युत विभाग को कॉल कर और ट्वीट के माध्यम से भी शिकायत कर सकता है जिसमे त्वरित कार्यवाही की जाएगी।

कार्यक्रम में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रेसीडेंट डॉ राम कुमार गुप्ता ने पावर एमडी का स्वागत कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बैठक के दौरान मेरठ समेत हापुड़, मुज़फ्फरनगर और सहारनपुर से आये उद्यमियों ने अपनी समस्याएं विद्युत एमडी के सामने रखी। उद्यमियों ने नए कनेक्शन के मानक तय किये जाने, अतिरिक्त सिक्योरिटी डिपॉजिट, नए उपभोक्ताओं के लागू बिजली बिल, ईडीडीआई कार्यालय परतापुर में खोले जाने, परतापुर उद्योगपुरम में जर्जर तारो को बदलने, ट्रिपलिंग की समस्या को दूर कराने, कटौती को रोके जाने, सब स्टेशन बनाये जाने, मीटर रूम, डेडिकेटर फीडर की स्थापना किये जाने, तमाम समस्याओं को रखा जिसमे अधिकारियों ने निस्तारण की बात कही एवं जर्जर तारो आदि को लेकर डीपीआर पास होते ही सभी पोल, तारो आदि को बदल दिया जाएगा। 15 दिनों में एक बार कैंप लगाकर इंडस्ट्रियल एरिया में उद्यमियों की समस्या का निस्तारण किया जाएगा। शट डाउन सुबह साढ़े आठ बजे से पहले और शाम पांच बजे के बाद की जाएगीं या लंच टाइम में की जाएगी। साथ ही उन्होंने उद्यमियों से भी सहयोग माँगा कि वह अगर अपने यहां प्रोटेक्शन कराये और अर्थिंग ठीक रखेंगे तो समस्या कम होगी। इससे विद्युत विभाग को भी फायदा होगा। उन्होंने मुज़फ्फरनगर और हापुड़ की समस्याओं को सुना और उनका निवारण करने की बात कही। इस मौके पर टेक्निकल डायरेक्टर श्री आर के राना मौजूद थे।

ट्वीट कर करे शिकायत:

पावर एमडी श्री अरविन्द मल्लप्पा बंगारी ने कहा कि अगर किसी को विद्युत संबंधी शिकायत है तो 1912 पर कॉल कर शिकायत बता सकता है। कुछ ही समय पर शिकायत पर कार्य किया जाएगा। वहीं अगर उपभोक्ता ट्वीट कर शिकायत करना चाहते है तो वह @pvvnlmeerut पर जाकर ट्वीट पर भी कर सकते है। विद्युत अधिकारियों में परतापुर से श्री पीके गौतम, शहर से श्री मनोज अग्रवाल आदि पहुंचे। उन्होंने बताया कि सराफा बाजार में तारो को अंडरग्राउंड करने का कार्य किया जाएगा। जिससे व्यापारियों की समस्या दूर हो सके।

सोलर रूफटॉप योजना का लाभ ले उपभोक्ता

PVVNL के एमडी श्री अरविन्द मल्लप्पा बंगारी जी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए गैर परंपरागत ऊर्जा स्त्रोत का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की है।

इसके साथ ही उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सोलर रूफटॉप योजना फेज-2 के तहत स्वीकृत लोड के अनुरूप कोई भी उपभोक्ता 10 किलोवाट तक का ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्लांट लगा सकता है। इसके लिए यूपीनेडा के पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है। स्वयं के इस्तेमाल के बाद अतिरिक्त ऊर्जा ग्रिड को दी जा सकेगी। इस योजना में तीन किलोवाट तक 40 फीसदी और तीन से 10 किलोवाट तक 20 फीसदी केंद्रीय अनुदान मिलता है। राज्य अनुदान एक किलोवाट तक 15 हजार और 2 से 10 किलोवाट तक 30 हजार रूपये मिलता है।

सोलर रुफटॉफ के लाभ:

बिजली के बिल में कमी, एक बार का निवेश, कम रख-रखाव, स्वच्छ ऊर्जा, 5 वर्षो तक निःशुल्क रख-रखाव

आवश्यक दस्तावेज:

आधार कार्ड, पैनकार्ड, कैंसिल चेक, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर

6 लाख करोड़ रुपये की संपत्तियां लीज पर देगी सरकार, वित्त मंत्री ने लॉन्च की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने छह लाख करोड़ रुपये की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन (National Monetisation Pipeline) की घोषणा की है. इसके तहत वित्त वर्ष 2022 से 2025 तक 6 लाख करोड़ रुपये के एसेट्स निजी क्षेत्र को लीज पर दिए जा सकते हैं. इनमें रेलवे, बिजली से लेकर सड़क जैसे अलग-अलग बुनियादी ढांचा क्षेत्रों के एसेट्स शामिल हैं.

अंडर-यूटिलाइज्ड एसेट्स ही मोनेटाइज किए जाएंगे:

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन (National Monetisation Pipeline) को लॉन्च करते हुए कहा, सरकार केवल अंडर-यूटिलाइज्ड एसेट्स को ही निजी क्षेत्र को देगी. संपत्ति का स्वामित्व सरकार के पास ही रहेगा और प्राइवेट सेक्टर के पार्टनर को तय समय के बाद अनिवार्य रूप से इनका कंट्रोल वापस करना होगा. नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में ब्राउनफील्ड एसेट्स की बात कही गई है जिन्हें बेहतर ढंग से मोनिटाइज करने की जरूरत है.

इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में होगा इनवेस्टमेंट:

वित्त मंत्री ने कहा, प्राइवेट भागीदारों के साथ हम इन एसेट्स को बेहतर ढंग से मोनेटाइज कर रहे हैं. मोनेटाइजेशन से मिलने वाले संसाधनों को इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में इनवेस्ट किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा, संपत्तियों के मोनेटाइजेशन में जमीन की बिक्री शामिल नहीं है. केंद्रीय बजट 2021-22 में बुनियादी ढांचे के सस्टेनेबल फंडिंग के एक प्रमुख साधन के रूप में ऑपरेशनल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की संपत्तियों के मोनेटाइजेशन की पहचान की गई थी. इस दिशा में बजट में एक नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन तैयार करने का भी प्रावधान किया गया है.

मंत्रालयों से विमर्श कर एनएमपी पर रिपोर्ट तैयार की गई:

वित्त मंत्री ने कहा, ढांचागत क्षेत्र के मंत्रालयों के साथ विचार विमर्श कर नीति आयोग ने एनएमपी पर रिपोर्ट तैयार की. वित्त मंत्री ने कहा कि संपत्तियों के मोनेटाइजेशन से संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और उनको पहले से अच्छी स्थिति में लाया जा सकेगा. इस मौके पर नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा, हम नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की पूरी तरह सफलता के लिए प्रतिबद्ध हैं. हमारा मानना है कि बेहतर ऑपरेशन और प्राइवेट मेंटेनेंस में प्राइवेट सेक्टर को लाना बहुत महत्वपूर्ण है.

SHUBHAM ORGANICS LIMITED

Corporate Office & Works :

303-A, INDUSTRIAL AREA, PARTAPUR MEERUT – 250103 (U.P.) INDIA

Tel. fax.: 0121-2440711 Email- shubham@ndf.vsnl.net.in

PARVATI INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED

(Formerly Known as Shubham Fibres (P) Ltd.)

B-19, INDUSTRIAL ESTATE, PARTAPUR, MEERUT – 250103 (U.P.) INDIA

Tel. Fax.: 0121-2440711 Mobile: 9837072188

Email: shubham@ndf.vsnl.net.in

आरबीआई के नीतिगत दर को निचले स्तर पर बरकरार रखने से कंपनियों का भरोसा बढ़ेगा: उद्योग

उद्योग जगत ने भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख नीतिगत दर रेपो को यथावत रखने तथा मौद्रिक नीति को लेकर नरम रुख बनाये रखने के कदम का स्वागत करते हुए कहा कि इससे कंपनियों और ग्राहकों के बीच भरोसा बढ़ेगा।

केंद्रीय बैंक ने प्रमुख नीतिगत दर रेपो में कोई बदलाव नहीं किया और इसे रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर चार प्रतिशत पर बरकरार रखा। इसके साथ केन्द्रीय बैंक ने अर्थव्यवस्था के अभी तक पूरी तरह से कोविड-19 संकट से नहीं उबर पाने के कारण मौद्रिक नीति के रुख को नरम बनाये रखने का भी फैसला किया। इस तरह से आरबीआई ने मुद्रास्फीति के ऊपर आर्थिक वृद्धि को तरजीह दी है।

लॉकर से सामान हुआ चोरी तो मिलेगा हर्जाना, किराए का 100 गुना तक मिलेगा पैसा

आरबीआई ने बैंक लॉकर के संबंध में नए नियम तय कर दिए हैं। इसके तहत लॉकर से सामान चोरी होने या बैंक की दूसरी लापरवाहियों की वजह से अगर ग्राहक को नुकसान होता है तो बैंकों को हर्जाना देना होगा।

भारतीय रिजर्व बैंक ने लॉकर में रखे सामान की चोरी होने पर हर्जाना देने का नियम बना दिया है। इसके तहत बैंकों को लॉकर के किराए के आधार पर 100 गुना तक हर्जाना देना होगा। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) 1500 रुपये लेकर 9000 रुपये तक लॉकर की साइज के आधार पर सालाना किराया लेता है। ऐसे में नई व्यवस्था के तहत उसकी देनदारी 1.5 लाख रुपये से लेकर 9 लाख रुपये तक बनेगी। इसी तरह एक्सिस बैंक 1400 रुपये लेकर 12960 रुपये तक किराया लेता है तो उसकी देनदारी 140000 रुपये लेकर 1296000 रुपये तक बनेगी। हालांकि इसके लिए बैंकों को नई लॉकर पॉलिसी बनानी होगी। उसके आधार पर हर्जाने की राशि तय होगी। आरबीआई के अनुसार लॉकर संबंधी नए नियम एक जनवरी 2022 से लागू होंगे।

क्या कहता है नया नियम:

बैंकों की यह जिम्मेदारी है कि जिस परिसर में लॉकर रखा जाता है, उसकी सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाए जाएं। बैंक परिसर में आग, चोरी/चोरी/डकैती, डकैती, इमारत ढहने जैसी घटनाएं बैंक की लापरवाही और किसी चूक या दूसरी कमियों के कारण न हो, बैंक को यह सुनिश्चित करना होगा। बैंक यह नहीं कह सकते हैं कि लॉकर की सामग्री के नुकसान के लिए वे अपने ग्राहकों के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं रखते हैं, इसलिए अगर ग्राहक के लॉकर में रखी सामग्री का नुकसान ऊपर बताई घटनाओं के कारण होगा या उसके कर्मचारियों द्वारा की गई धोखाधड़ी के कारण होता है, बैंकों को सालाना किराए के 100 गुना के बराबर हर्जाना ग्राहक को देना होगा।

अभी क्या है नियम:

मौजूदा समय में बैंकों को किसी तरह के नुकसान पर हर्जाने का प्रावधान नहीं है। असल में जब कोई ग्राहक लॉकर लेता है, तो वह उसमें क्या सामान रखता है उसकी जानकारी बैंक नहीं लेते हैं। जिसके आधार पर बैंक हर्जाने का कोई प्रावधान नहीं करते थे। उनका तर्क था कि जब हम जानते नहीं है कि ग्राहक ने लॉकर में क्या रखा है, तो फिर उसकी जिम्मेदारी भी नहीं ले सकते हैं। इसीलिए आरबीआई ने किराए के आधार पर हर्जाने का प्रावधान रखेगा। यानी अभी भी बैंक अपने ग्राहक से लॉकर में रखी सामग्री के बारे में जानकारी नहीं लेंगे।

ग्राहकों को भी इन बातों का रखना होगा ध्यान:

रिजर्व बैंक के नए नियमों के अनुसार बैंकों को लॉकर करार में एक प्रावधान शामिल करना होगा, जिसके तहत लॉकर किराये पर लेने वाला ग्राहक लॉकर में किसी भी तरह का गैरकानूनी या खतरनाक सामान नहीं रख सकेगा। और अगर ग्राहक लगातार तीन वर्षों तक लॉकर के लिए किराए का भुगतान नहीं करेगा तो बैंक इस पर एक्शन ले सकेगा और जरूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए उसके लॉकर को खोल सकेगा। इसके अलावा बैंकों को लॉकर ऑपरेशंस का एसएमएस और ईमेल कस्टमर्स को भेजना जरूरी होगा। इसके अलावा अगर बैंक में लॉकर उपलब्ध नहीं है, तो बैंकों को उपभोक्ताओं को वेटिंग लिस्ट का नंबर देना होगा।

SARU METALS

SARU SMELTING PRIVATE LIMITED

SARU NAGAR, SARDHANA ROAD, MEERUT- 250001 (INDIA)

Tel.: 0121-2556051, 2555449, Fax: 0121-2555969

Email: info@sarumetals.com

Website: www.sarumetals.com

SBI दे रहा है सस्ता लोन! Car, Gold Loan पर घटाई ब्याज दरें, प्रोसेसिंग फीस भी माफ

SBI के ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रियायती ब्याज दरों, लोन प्रोसेसिंग फीस में छूट और कुछ खास अवधियों पर ज्यादा ब्याज दरों का ऐलान किया है।

SBI ऑटो लोन ऑफर:

SBI ने अपने एक बयान में कहा है कि वह अपने ऑटो लोन ग्राहकों से प्रोसेसिंग फीस नहीं लेगा, साथ ही कार लोन पर ऑन रोड 90 परसेंट फाइनेंस करेगा। इतना ही नहीं जो कस्टमर बैंक के YONO ऐप के जरिए कार लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्हें ब्याज दरों में 25 बेसिस प्वाइंट (0.25%) की स्पेशल छूट भी मिलेगी। SBI का कहना है कि YONO यूजर्स को कार लोन 7.5 परसेंट सालाना ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा।

SBI गोल्ड लोन ऑफर:

इसके अलावा ऐसे कस्टमर जो गोल्ड लोन लेना चाहते हैं, उन्हें 7.5 परसेंट ब्याज दर पर 75 बेसिस प्वाइंट (0.75%) की छूट मिलेगी। अगर कस्टमर YONO ऐप के जरिए गोल्ड लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उनके लिए प्रोसेसिंग फीस भी माफ होगी। SBI अपने ग्राहकों को होम लोन पर भी प्रोसेसिंग फीस से राहत दे रहा है. बैंक ने ऐलान किया है कि उसके होम लोन ग्राहकों को भी 31 अगस्त, 2021 तक प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी होगी, SBI की होम लोन ब्याज दरें 6.7 परसेंट सालाना से शुरू होती हैं।

पर्सनल लोन पर भी छूट:

ऑटो लोन, होम लोन, गोल्ड लोन के अलावा अगर ग्राहक पर्सनल लोन या पेंशन लोन के लिए भी अप्लाई करता है, तो उसे भी प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी है। SBI फ्रंटलाइन हेल्थकेयर वर्कर्स के लिए भी स्पेशल ऑफर लेकर आया है. उन्हें पर्सनल लोन पर 50 बेसिस प्वाइंट तक की छूट मिल सकती है। ये छूट बहुत जल्द ही कार लोन और गोल्ड लोन के लिए भी उपलब्ध हो जाएगी।

SBI की स्पेशल डिपॉजिट स्कीम:

SBI ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने ग्राहकों के लिए स्पेशल डिपॉजिट स्कीम SBI Platinum Deposits की भी शुरुआत की है। ये स्कीम लिमिटेड समय के लिए, जो कि 14 सितंबर को खत्म हो जाएगी. इस स्कीम के तहत ग्राहक 75 दिन, 525 दिन और 2250 दिनों के लिए पैसा फिक्स्ड करा सकता है. इसके साथ ही NRE और NRO टर्म डिपॉजिट्स सहित डोमेस्टिक रिटेल टर्म डिपॉजिट्स (2 करोड़ रुपए से कम) इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं. इसके तहत नए और रिन्युअल डिपॉजिट्स भी किया जा सकता है। इसके अलावा केवल टर्म डिपॉजिट और स्पेशल टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट है। NRE डिपॉजिट्स केवल 525 और 2250 दिनों के लिए है।

रीटेल और डिजिटल बैंकिंग के लिए बैंक के प्रबंध निदेशक सी एस सेट्टी ने एक प्रेस रिलीज में कहा है कि हमारा मानना है कि इन ऑफर्स से ग्राहकों को अपने लोन पर ज्यादा बचत करने में मदद मिलेगी और साथ ही साथ उनके त्योहारों की खुशियों में इजाफा होगा।

HYUNDAI

DAS HYUNDAI

Das Building, Abu Lane, Meerut

Phone no.: 0121-2660052/2660335

अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उनके लोन का क्या होता है, किसे देने होते हैं बाकी पैसे?

जब भी पैसों की जरूरत पड़ती है तो बैंक ग्राहक बैंक से लोन ले लेते हैं और किश्तों में उसका भुगतान करते रहते हैं. लेकिन, दुर्भाग्यवश कई बार लोन लेने वाले शख्स की मृत्यु हो जाती है और लोन का काफी पैसा बाकी रह जाता है. कभी आपने सोचा है कि इस परिस्थिति में बैंक का बकाया पैसे कौन चुकाता है या क्या उत्तराधिकारी को बाकी लोन चुकाना पड़ता है या फिर इसका कुछ और नियम होता है?

अगर आप भी इस सवाल का हल जानना चाहते हैं तो हम आपको बताते हैं कि इस स्थिति में लोन का भुगतान कैसे किया जाता है और किस व्यक्ति पर इस लोन को चुकाने की जिम्मेदारी होती है. जानते हैं मृत्यु के बाद लोन से जुड़े नियम क्या हैं और किस तरह इसका भुगतान किया जा सकता है।

क्या हैं नियम?

मृत्यु के बाद लोन के भुगतान को लेकर हर लोन के लिए अलग नियम है. यह नियम होम लोन में अलग होते हैं तो पर्सनल लोन के लिए अलग तरह से कार्रवाई की जाती है. इसलिए आपको हर लोन के हिसाब से समझना होगा कि लोन वाले शख्स की मृत्यु के बाद लोन का भुगतान कौन करता है?

होम लोन में क्या हैं नियम?

दरअसल, जब भी होम लोन लिया जाता है तो लोन के एवज में घर के कागज गिरवी रखे जाते हैं यानी घर गिरवी रखा जाता है. होम लोन की स्थिति में जब उधार लेने वाले शख्स की मृत्यु हो जाती है तो को-बोरोवर पर इसकी जिम्मेदारी होती है. या फिर व्यक्ति के उत्तराधिकारी पर लोन जमा करने की जिम्मेदारी होती है, अगर वो लोन का भुगतान कर सकते हैं तो ही उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है.

इसके अलावा उन्हें ऑप्शन दिया जाता है कि वो संपत्ति बेचकर लोन का भुगतान करें. अगर ऐसे भी नहीं होता है तो बैंक लोन के एवज में रखी गई संपत्ति को नीलाम कर देता है और इससे लोन की बकाया राशि वसूल लेता है. इसके अलावा कई बैंक एक नया ऑप्शन काम में लेने लगे हैं. दरअसल, बैंक की ओर से लोन लेने वक्त ही एक इंश्योरेंस करवा दिया जाता है और अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो बैंक इंश्योरेंस के माध्यम से इसे वसूल लेता है. इसलिए जब भी आप लोन लेते हैं तो आप बैंक से इस इंश्योरेंस के बारे में पूछ सकते हैं.

पर्सनल लोन के क्या हैं नियम?

पर्सनल लोन सिक्योर्ड लोन नहीं होते हैं. ऐसे में पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड लोन की स्थिति में मृत्यु हो जाने के बाद बैंक किसी दूसरे व्यक्ति से पैसे नहीं वसूल सकते हैं. साथ ही उत्तराधिकारी की भी पर्सनल लोन को लेकर कोई जिम्मेदारी नहीं होती है. ऐसे में व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही लोन भी खत्म हो जाता है.

वाहन लोन के क्या हैं नियम?

व्हीकल लोन एक तरह से सिक्योर्ड लोन होता है. इस स्थिति में अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो बैंक घर वालों को लोन का भुगतान करने के लिए कहता है. अगर वो लोन का भुगतान नहीं करता है तो बैंक व्हीकल को बेचकर लोन का पैसा वसूल कर लेते हैं।

Cyber Fraud में लुटे लोगों को 24 घंटों में वापस मिलेगा पैसा, तरीका जान लीजिए

आम लोगों की खून-पसीने की कमाई को लुटने से बचाने के लिए एक सिस्टम खड़ा कर दिया गया है. और इस सिस्टम को इस्तेमाल करना बेहद आसान है. इसी ख़बर में हम आपको सबकुछ बताने वाले हैं. यदि आपने इसे पूरा पढ़ लिया तो आप ज़िंदगी में कभी ऑनलाइन ठगी का शिकार नहीं बनेंगे. और यदि बन भी गए तो आपका पूरा पैसा 24 घंटों के भीतर आपके अकाउंट में लौट आएगा.

क्या है ये सिस्टम:

भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (National Cyber Crime Reporting Portal) बनाया है. आसान भाषा में कहें तो एक वेबसाइट बनाई गई है. लिंक है – https://cybercrime.gov.in/Default.aspx . इस वेबसाइट पर एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है. नंबर है 155260

दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, असम, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के लोग इस नंबर पर सातों दिन किसी भी समय (दिन या रात) में कॉल करके अपनी शिकायत लिखवा सकते हैं. बाकी के जितने भी राज्य और केंद्र शासित राज्य हैं, उनमें रहने वाले सुबह 10 से शाम 6 बजे के बीच में फोन करके कंप्लेंट कर सकते हैं.

आपको क्या करना होगा?

यदि आप किसी भी तरह की ऑनलाइन धोखाधड़ी (साइबर फ्रॉड) का शिकार होते हैं तो आपको अपना फोन उठाना है और डायल करना है 155260. ये नंबर डायल करने के बाद आपको अपनी शिकायत लिखवानी है.

शिकायत करते समय ये बातें ध्यान में रखें-

फ्रॉड की पूरी जानकारी दें.

फ्रॉड का सही समय बताएं.

आपके बैंक का नाम-पता और जिस बैंक या ई-वॉलेट (PhonePe, Google Pay, PatTM etc) में पैसा ट्रांसफर हुआ है, उसकी पूरी जानकारी.

आपकी दी गई जानकारी के आधार पर कार्रवाई होगी और आपका पैसा आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा.

वर्चुअल असिस्टेंट भी रहेगा मौजूद:

इसी वेबसाइट पर एक वर्चुअल असिस्टेंट यानी कि आपकी सहायता के लिए कंप्यूटरीकृत सहायक भी मौजूद रहता है. इस असिस्टेंट को नाम दिया गया है साइबर दोस्त (Cyber Dost). आप इस दोस्त की मदद से भी अपनी शिकायत कर सकते हैं.

कैसे काम करेगा ये सिस्टम?

जब आप 155260 पर कॉल लगाते हैं तो ये कॉल साइबर क्राइम के कॉल सेंटर में पहुंचती है.

आपसे फ्रॉड के बारे में पूरी जानकारी लेकर रिकॉर्ड की जाती है.

आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर जिस बैंक अकाउंट में पैसा पहुंचा होगा, साइबर क्राइम सेल द्वारा उस अकाउंट को फ्रीज करवा दिया जाएगा. मतलब कि जिस अकाउंट में आपका पैसा गया है, उस अकाउंट का मालिक, पैसा निकाल नहीं पाएगा.

आपकी दी गई शिकायत यदि सही होगी तो आपके अकाउंट से निकला पूरा पैसा आपके बैंक अकाउंट में वापस डाला जाएगा.

पैसा वापस डालने की प्रक्रिया उस बैंक की तरफ से होगी, जिसमें आपका पैसा ट्रांसफर हुआ है.तो इस तरह ये पूरा सिस्टम काम करेगा.

अब एक सवाल ये उठता है कि फ्रॉड करने वाले ने फ्रॉड के तुरंत बाद मतलब 5 मिनट में ही पैसा निकलवा लिया तो क्या होगा?

इस बारे में साइबर क्राइम की दिल्ली शाखा से पता चला कि इस स्थिति में आपकी शिकायत को आपके क्षेत्र वाले थाने में भेज दिया जाएगा. फिर पुलिस दूसरे मालमों की तरह इस मामले में भी आरोपी को पकड़कर आगे की कार्रवाई करेगी. मतलब, ऐसे में फ्रॉड करने वाले की मुसीबत ज्यादा बढ़ जाएगी.

INDRA BRICK WORKS

Manufacture of:

MOHAN BRAND Quality Bricks and Tiles

Office: 6-B, Shambhu Nagar, Baghpat Road, Meerut City-250002

Mobile No.: 9737126444, 9837081518

Email: rajendra_2068@yahoo.com

Works: Malyana Before Bypass, Baghpat Road, Opp. DPS, Meerut City

Retrospective Tax Law: खत्म होगा 9 साल पुराना विवादित टैक्स कानून, कैबिनेट के बाद अब लोकसभा से भी मिली मंजूरी

जिस विवादित कानून को लेकर पिछले कुछ समय से सरकार को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, उसे खारिज करने की मंजूरी लोकसभा से मिल गई गई है. इससे पहले मोदी कैबिनेट ने इस कानून को खत्म करने को लेकर फैसला किया था, जिसके बाद सदन में इसे पेश किया गया था. आज लोकसभा ने Taxation Amendment Bill 2021 को मंजूरी दे दी है.

दरअसल इसी विवादित टैक्स कानून के कारण सरकार को दो बड़े झटके लग चुके हैं. पहला झटका साल 2012 में वोडाफोन की तरफ से लगा था. जिसमें सरकार को करीब 8800 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा था. इसके बाद केयर्न एनर्जी की तरफ से भी इसी कानून को लेकर सरकार से तनातनी चल रही है.

रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के चलते इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ने दिसंबर 2020 में केयर्न एनर्जी के पक्ष में फैसला सुनाया था और कहा था कि भारत सरकार उसके 1.2 अरब डॉलर वापस करे. इंटरनेशनल कोर्ट से जीत मिलने के बाद Cairn Energy अपने पैसे के लिए सरकार के पीछे बुरी तरह पड़ चुकी है. एक रिपोर्ट के मुताबिक केयर्न एनर्जी ने विदेशों में भारत सरकार की करीब 70 अरब डॉलर (5 लाख करोड़ से ज्यादा) से ज्यादा संपत्ति की पहचान की है.

वोडाफोन के मामले में रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स:

वोडाफोन टैक्स विवाद साल 2007 में शुरू हुआ था करीब 5 साल की कानूनी लड़ाई के बाद भारत सरकार ये केस हार गई थी. करीब 15000 करोड़ के इस टैक्स विवाद में सरकार को मुंह की खानी पड़ी थी. वोडाफोन केस साल 2007 में हांगकांग के हचिसन ग्रुप के मालिक Hutchison Whampoa के मोबाइल बिजनेस हचिसन-एस्सार में 11 अरब डॉलर निवेश कर 67 फीसदी की हिस्सेदारी खरीदी थी. इस डील के साथ ही उसने भारतीय टेलिकॉम सेक्टर में कदम रखा था. इस डील को लेकर भारतीय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वोडाफोन से कैपिटल गेन टैक्स की मांग कर रहा था. इसके कुछ समय बाद रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स भी मांगा गया. साल 2007 में हुई इस डील को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार विद होल्डिंग टैक्स की डिमांड कर रहा था. आखिर में थक-हार कर वोडाफोन ने साल 2012 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की.

क्या होता है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स?

रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के तहत सरकार किसी वर्तमान या नए कानून को पुरानी तारीख से लागू करती है. अगर सरकार को लगता है कि कोई देशी या विदेशी कंपनी टैक्स चोरी कर रही है तो वह एक नए टैक्स कानून को पुरानी तारीख से लागू करती है. ऐसे में उस कंपनी से एडिशनल टैक्स की वसूली की जाती है.

आयकर विभाग को देनी होगी पूंजीगत लाभ व ब्याज की जानकारी

आयकर विभाग सभी करदाताओं के लाभांश, पूंजीगत लाभ और बचत से मिले ब्याज की जानकारियां भी जुटाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक सर्कुलर में कहा है कि शेयर और म्यूचुअल फंड बेचने से मिले पूंजीगत लाभ के साथ कंपनियों के इक्विटी शेयरों के लाभांश और बचत योजनाओं के ब्याज को भी विशेष फंड ट्रांसफर (एसएफटी) में शामिल किया है।

ये लेनदेन आयकर की धारा 114ई के तहत एसएफटी में आते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर किसी निवेशक ने फंड बेचकर लाभ कमाया है, तो फंड हाउस उसके खाते की जानकारी आयकर विभाग तक पहुंचाएंगे। बैंक या डाकघर की बचत योजनाओं अथवा खाते पर मिले ब्याज की जानकारियां भी आयकर विभाग तक पहुंच जाएंगी।

रिटर्न भरने में होगी आसानी:

आयकर विभाग का मानना है कि इस कदम से न सिर्फ कर चोरी पर लगाम कसी जा सकेगी, बल्कि करदाताओं को पहले से भरे रिटर्न फॉर्म मुहैया कराने में भी आसानी होगी। सरकार ने पिछले बजट में पहले से भरे रिटर्न फॉर्म देने की घोषणा की थी और वित्तीय संस्थानों से मिली लेनदेन की जानकारियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। वित्तमंत्री ने बजट-2021 में कहा था कि आयकरदाताओं को रिटर्न भरने में सहूलियत देने के लिए पहले से भरे फॉर्म मुहैया कराए जाएंगे।

अभी 16 तरह के लेनदेन पर नजर:

आयकर विभाग अभी करदाताओं की ओर से किसी वित्तवर्ष में 16 तरह के बड़े लेनदेन पर नजर रखता है। विभाग इसके तहत बचत खाते में एक साल में 10 लाख से ज्यादा की नकदी जमा करने, शेयर खरीदने, एनसीडी या म्यूचुअल फंड में निवेश करने अथवा शेयर बायबैक की जानकारियां जुटाता है।

इसके अलावा किसी साल में नकद राशि से 1 लाख रुपये से ज्यादा का क्रेडिट कार्ड बिल चुकाने और पूरे वित्तवर्ष में किसी भी मोड से 10 लाख का बिल भरने की जानकारी भी आयकर विभाग जुटाता है।

Shivangi International

SHIVANGI INTERNATIONAL

A-216, 2nd Floor, Meerut Mall, Near Metro Plaza, Delhi Road, Meerut

Telephone: 0121-2517722, 2511578, 4002793

E-mail: info@shivangiinternational.com, shivangi2@gmail.com

Website: www.shivangiinternational.com

कर्मचारियों से कैंटीन सुविधा के लिए वसूले गए शुल्क पर जीएसटी नहीं लगेगा: एएआर

कर्मचारियों द्वारा कैंटीन सुविधा के लिए चुकाई गई राशि पर कोई माल एवं सेवा कर (जीएसटी) नहीं लगेगा। अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (एएआर) ने यह व्यवस्था दी है।

टाटा मोटर्स ने एएआर की गुजरात पीठ से संपर्क कर यह जानकारी मांगी थी कि क्या उसके कर्मचारियों द्वारा कैंटीन सुविधा के इस्तेमाल के लिए उनसे वसूली गई मामूली राशि पर जीएसटी लगेगा।

इसके अलावा कंपनी ने यह भी पूछा था कि क्या कारखाने में काम करने वाले कर्मचारियों को उपलब्ध कराई गई कैंटीन सुविधा पर सेवाप्रदाता द्वारा लिए गए जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) की सुविधा मिलेगी।

एएआर ने अपने फैसले में यह कहा है कि टाटा मोटर्स ने अपने कर्मचारियों के लिए कैंटीन की व्यवस्था की है, जिसका संचालन तीसरा पक्ष सेवाप्रदाता द्वारा किया जा रहा है। इस व्यवस्था के तहत कैंटीन शुल्क के एक हिस्से का बोझ कंपनी वहन कर रही है और शेष का कर्मचारी उठा रहे हैं।

कर्मचारियों के हिस्से के कैंटीन शुल्क को कंपनी द्वारा जुटाया जाता है और इसे कैंटीन सेवाप्रदाता को दिया जाता है। इसके अलावा टाटा मोटर्स ने यह भी कहा है कि कर्मचारियों से कैंटीन शुल्क वसूली में वह अपने मुनाफे का मार्जिन नहीं रखती है।

एएआर ने कहा कि कैंटीन सुविधा पर जीएसटी भुगतान के लिए आईटीसी जीएसटी कानून के तहत प्रतिबंधित क्रेडिट है और आवेदक को इसका लाभ नहीं मिला सकता।

एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन ने कहा कि अभी सब्सिडी वाला खाने-पीने का सामान उपलब्ध कराने वाली कंपनियां कर्मचारियों से इसकी वसूली पर पांच प्रतिशत का कर ले रही हैं। ‘‘एएआर ने अब व्यवस्था दी है कि जहां कैंटीन शुल्क का एक बड़ा हिस्सा नियोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा और कर्मचारियों से सिर्फ मामूली शुल्क लिया जाएगा, उनमें जीएसटी नहीं लगेगा।’ ’

Radha Krishna Group of Companies

A House of leading Clearing and Forwarding Agents, Logistic Managements, Medical & Education

H.O.: Manjulika House, 221/5, Thapar Nagar, Meerut

Ph. No.: 09412207670, 09412205570

Email: bhushan.drbrij@gmail.com, sandeepgoel69@gmail.com

Branch Offices: **Meerut , Ghaziabad, New Delhi, Deheradun, Haldwani, Lucknow, Varanasi, Kanpur, Kundli & Rai (Sonipat)**

GST रिटर्न नहीं भरा है तो 15 अगस्त से ई-वे बिल नहीं होगा जेनरेट

जीएसटी नेटवर्क ने कहा है कि जिन टैक्सपेयर्स (करदाताओं) ने जून 2021 तक दो महीने या जून 2021 तिमाही तक जीएसटी रिटर्न (GST Returns news) दाखिल नहीं किए हैं, वे 15 अगस्त से ई-वे बिल जेनरेट नहीं कर पाएंगे. पीटीआई की खबर के मुताबिक, विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से अगस्त में वस्तु एवं सेवा कर (GST) कलेक्शन बढ़ाने में मदद मिलेगी, क्योंकि पेंडिंग जीएसटी रिटर्न दाखिल होने की उम्मीद है.

ई-वे बिल जेनरेट करने पर रोक होगा बहाल:

खबर के मुताबिक, पिछले साल केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने कोविड महामारी के दौरान अनुपालन (compliance) राहत देते हुए रिटर्न दाखिल न करने वालों के लिए इलेक्ट्रॉनिक ई-वे बिल (e-way bill) सृजित करने पर रोक को निलंबित कर दिया था.

जीएसटीएन ने करदाताओं से कहा कि सरकार ने अब सभी करदाताओं के लिए ईडब्ल्यूबी पोर्टल (EWB Portal) पर ईवे बिल जेनरेट करने पर रोक को 15 अगस्त से फिर बहाल करने का फैसला किया है. इस तरह 15 अगस्त 2021 के बाद सिस्टम दाखिल किए गए रिटर्न की जांच करेगा और जरूरी होने पर ईवे बिल (ewaybill.nic.in) सृजित करने पर रोक लगाएगा.

हाल ही में जीएसटी ने चार साल किए हैं पूरे:

GST सिस्टम ने हाल ही में चार साल पूरे किए हैं. वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने इस मौके कहा कि अब तक 66 करोड़ से ज्यादा जीएसटी रिटर्न दाखिल किए गए. टैक्स की दरों में कटौती हुई है और करदाताओं की संख्या में बढ़ी है. पूरे देश में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था. इसमें एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट (VAT) और 13 उपकर जैसे कुल 17 लोकल टैक्स शामिल थे.

ऐसे कारोबारियों को राहत भी दी गई है:

जीएसटी परिषद ने कोरोना काल में कई राहत उपायों की सिफारिश भी की है. जीएसटी के तहत 40 लाख रुपये तक सालाना कारोबार वाले कारोबारियों को टैक्स से छूट दी गई है. 1.5 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले लोग कंपोजिशन स्कीम का ऑप्शन चुन सकते हैं और सिर्फ एक प्रतिशत टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं.

नोएडा का होगा कायाकल्प, 812 एकड़ में बनेंगे दो एमएसएमई पार्क

उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म, लघु व मध्यम दर्जे के उद्योगों (एमएसएमई) को बढ़ावा देने के लिए राज्य में एमएसएमई पार्क की स्थापना को रफ्तार मिली है। सूबे के यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण (यीडा) द्वारा गौतम बुद्धनगर (नोएडा) जिले के सेक्टर 29 और सेक्टर 32 में बतौर मॉडल विकसित किए जा रहे पार्क में 812 निवेशकों ने जमीन खरीदी है।

यूपी के इन दो पहले एमएसएमई पार्क में निवेशक 2345 करोड़ रुपए का निवेश कर अपनी फैक्ट्री उक्त पार्क में लगायेंगे, जिससे 42,800 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। आगरा, कानपुर, मुरादाबाद, वाराणसी, आजमगढ़ और गोरखपुर में भी पार्क बनेंगे। इसके अलावा आगरा, कानपुर, मुरादाबाद, वाराणसी, आजमगढ़ और गोरखपुर में भी यह बनाने की कार्रवाई की जा रही है। इन छह जिलों में एमएसएमई इकाइयों की भारी तादाद है, पार्क की स्थापना से एमएसएमई इकाइयों को लाभ होगा।

गौरतलब है कि राज्य में रोजगार मुहैया कराने के लिहाज से कृषि क्षेत्र के बाद एमएसएमई सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर है। एमएसएमई की संख्या के लिहाज से देश में यूपी की हिस्सेदारी 14.2 प्रतिशत है। एमएसएमई सेक्टर के माध्यम से प्रदेश लगातार तीन वर्षों से 1.14 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात कर रहा है। आगरा, कानपुर, मुरादाबाद, वाराणसी, आजमगढ़ और गोरखपुर में एमएसएमई इकाइयों की भारी तादाद है।

इन पार्कों में कारखाने और फैक्ट्री शेड के साथ-साथ बिजनेस और शॉपिंग सेंटर, इन्क्यूबेशन सेंटर, होटल-रेस्टोरेंट, हॉस्टल, ऑफिस ब्लॉक, स्वास्थ्य और फायर स्टेशन जैसी सुविधाएं भी मुहैया कराई जाए। साथ ही बिजली, पानी और सड़क आदि की भी बेहतर व्यवस्था की जाएगी। पार्क में ही सर्टिफिकेशन लैब भी तैयार की जाएगी। भंडार गृह, कंटेनर और ट्रक टर्मिनल, रेलवे साइडिंग इंफ्रास्ट्रक्च र, फ्यूल स्टेशन को भी इन इंडस्ट्रियल पार्कों में तैयार किया जाएगा।

राज्य में 20 से लेकर 100 एकड़ तक के क्षेत्रफल में एमएसएमई पार्क विकसित किये जा सकेंगे। पार्क के कुल क्षेत्रफल का 50 फीसद एमएसएमई सेक्टर के लिए आरक्षित होगा। इस 50 फीसद क्षेत्र का 60 प्रतिशत यानी पार्क के कुल क्षेत्रफल का 30 प्रतिशत हिस्सा सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए आरक्षित होगा। पार्क में उद्योग की स्थापना के लिए जमीन खरीदने वाले पहले खरीदारों को स्टांप ड्यूटी में 50 प्रतिशत छूट देने का फैसला किया गया। इसके अलावा भी कई अन्य रियायतें इस पार्क में फैक्ट्री लगाने वाले उद्यमियों को देना तय किया गया।

आगरा, कानपुर, मुरादाबाद, वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर के प्रशासनिक अफसरों तथा नोएडा एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण (यीडा) के अधिकारियों ने अपने क्षेत्र में एमएसएमई पार्क की स्थापना को लेकर प्रयास शुरू किए। जिसके तहत ही नोएडा के सेक्टर 29 और सेक्टर 32 में एमएसएमई पार्क विकसित करने का फैसला किया गया। करीब 240 एकड़ भूमि में बनाए जा रहे इस एमएसएमई पार्क में 812 उद्यमियों में अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए यीडा से जमीन खरीदी है। इस भूमि पर 2345 करोड़ रुपए का निवेश कर उद्यमी अपनी फैक्ट्री उक्त पार्क में लगायेंगे, जिससे 42,800 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा।

यीडा के अधिकारियों के अनुसार पार्क में भूमि लेने वाले तमाम उद्यमियों ने अपनी फैक्ट्री का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। निर्माण कार्य शुरू करने वाली प्रमुख कंपनियों में स्वस्तिक इंडस्ट्री, यूनाइटेड लाजिस्टिक्स, सीरिया इम्पेक्स, डीआर ऑटो इंडस्ट्रीज, ग्राम्य एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड, एमवी एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड, रेंनेक्स मेडिकल, श्री बाला जी पिंट्रिंग तथा गेपडेक इंफ्राटेक लिमिटेड अपनी फैक्ट्री का निर्माण कराना शुरू कर दिया है।

अधिकारियों के अनुसार पार्क में रेडीमेड गार्मेंट, आटो पार्ट्स, फूड प्रोसेसिंग, पिंट्रिंग से लेकर कई तरह की मैन्युफैक्च रिंग यूनिट लगेगी। इनमें होने वाले उत्पादन पर लगने वाले जीएसटी के जरिए सरकार को राजस्व मिलेगा। अधिकारियों का कहना है कि आगरा में चमड़ा उत्पाद बनाने वाली 10,000 माइक्रो, 150 छोटी, 30 मध्यम दर्जे और 15 बड़ी औद्योगिक इकाइयां हैं। दो लाख लोगों को इनमें रोजगार मिला है और सालाना टर्नओवर 6000 करोड़ रुपये है।

भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग स्थापित करने में मदद करेगी सरकार: गोयल

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार देश में सेमीकंडक्टर उद्योग स्थापित करने में सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे विदेशी मुद्रा खर्च को भी कम करने में मदद मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री की टिप्पणी टाटा समूह द्वारा सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में प्रवेश करने के अपने इरादे की घोषणा के कुछ दिनों बाद आयी है। यह घटनाक्रम दुनिया भर में सेमीकंडक्टर की काफी कमी के बीच हुआ है जिसने विभिन्न उद्योगों को प्रभावित करना भी शुरू कर दिया है।

वाणिज्य मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में गोयल ने कहा कि सेमीकंडक्टर उद्योग स्थापित करने और पोत परिवहन उद्योग को मजबूत करने से सरकार की 'आत्मनिर्भर' या आत्मनिर्भरता पहल को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने सेमीकंडक्टर और साथ ही पोत परिवहन उद्योग के लिए सहयोग देने का संकेत करते हुए कहा, "दुनिया भर में सेमीकंडक्टर की कमी है और सरकार भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग की शुरुआत पर काफी ध्यान दे रही है सरकार इन दोनों क्षेत्रों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है।"

टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने घोषणा की थी कि समूह सेमीकंडक्टर उद्योग में महत्वपूर्ण पुर्जों के निर्माण पर विचार कर रहा है। समूह का ऑटो कारोबार खुद सेमीकंडक्टर की कमी का सामना कर रहा है। गोयल ने साथ ही उम्मीद जतायी कि "बड़े कॉरपोरेट" पोत परिवहन उद्योग में रुचि लेंगे जिससे देश के विदेश व्यापार के लिए महत्वपूर्ण इस क्षेत्र को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा।

SANGAL PAPERS LIMITED

Manufactures of:

ENVELOPE PAPERS, RIBBED PAPERS, PACKAGING & MANINATION PAPERS, SCRAP BOOK, CRAFT PAPERS, WRITING & PRINTING PAPERS, MG COLOUR PAPERS, NEWS PRINT PAPERS, STATIONERY PAPERS, PULP GRADE PAPERS

Regd. Office/Works:

Village Bhainsa, 22Km, Meerut Mawana Road, Mawana, Meerut- 250401

Phone No.: 01233-271137

Email: sales@sangalpapers.com

Website: www.sangalpapers.com

PASWARA PAPERS LIMITED

PASWARA GROUP

Paper Product

High RCT Paper, High Ply Bond Paper, High BF Kraft Paper, White Craft Liner Paper

Regd. Office:

Paswara House, Baghpat Road, Meerut (U.P.) India
Tel.: +91-121-2511692, Fax: +91-121-4056535
Email: paswara@ndf.vsnl.net.in

Factory:

N.H.-58, Paswara Border, Mohiuddinpur, Delhi Road, Meerut (U.P.) India
Tel.: +91-121-2410502/503 Fax: +91-121-2410505
Email: info@paswara.com

FM launches Ubharte Sitaare Fund

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman on said the micro, small and medium enterprises (MSMEs) are the backbone of the economy, and the Narendra Modi Government has given the sector its rightful place.

Addressing the launch of the 'Ubharte Sitaare Fund' here, Sitharaman said, "The government of Prime Minister Narendra Modi has given a proper identity to MSME. The place, which it had not got in decades, is being given to it, and it will be improved."

"In the last two years, the Centre has done a number of different things. The Government has changed the definition of MSME in a very flexible manner. Recently, a bill was tabled in the Parliament through which the MSME sector will directly benefit,"

Sitharaman further said MSME businessmen will not have to undertake an audit for submission of their accounts. "The Government has faith in them, and they can self-attest their accounts and certify them,"

Speaking about the geographical indication (GI) tags for specialised products, she said while they are scattered across the country, in Uttar Pradesh, Banaras and its immediate surroundings alone boast of eight GIs.

Sitharaman urged the state's MSME Minister Sidharth Nath Singh to establish an MSME chamber in every district, and hold awareness programmes about the 'Ubharte Sitaare Fund' so that entrepreneurs working under the One District, One Product (ODOP) scheme can know about its benefits.

Uttar Pradesh has the highest number of MSMEs and has effectively implemented the One District One Product programme, which provides the ideal ecosystem for success of an initiative like the Ubharte Sitaare Fund.
The fund will go a long way in making India a major exporting hub, she said.

Meanwhile, a tweet by Sitharaman's office said MSMEs have been at the forefront of the Modi government's economic policy through policies like change in definition of MSMEs to ensure adequate flexibility, effective implementation of ECLGS and Factoring Bill increasing the number of designated NBFCs to 9,000.
The 'Ubharte Sitaare Fund' has been set up by Exim Bank and SIDBI.

The fund is expected to identify Indian enterprises with potential advantages by way of technology, products or processes along with export potential, but which are currently

underperforming or unable to tap their latent potential to grow.

In her Budget speech last year, Sitharaman had mentioned that MSMEs are vital to keep the wheels of economy moving. They also create jobs, innovate and are risk takers.

Accordingly, India Exim Bank's Ubharte Sitaare Programme (USP) identifies Indian companies that have the potential to be future champions in the domestic arena while catering to global demands.

The fund is a mix of structured support, both financial and advisory services through investments in equity or equity like instruments, debt (funded and non-funded) and technical assistance (advisory services, grants and soft loans) to the Indian companies.

Exim Bank and SIDBI have developed a pipeline of over 100 potential companies, including those in Uttar Pradesh, across various sectors such as pharma, auto components, engineering solutions, agriculture, and software.

e-SHRAM Portal: 38 करोड़ वर्कर्स को मिलेगी पहचान, मुफ्त होगा रजिस्ट्रेशन

भारत….जहां अड़तीस करोड़ से ज्यादा श्रमिक कामगार हैं, जो देश का कुल 90 प्रतिशत से अधिक है। पिछले 7 दशकों से प्रगति की दौड़ में पीछे रह रहे कामगारों को भी अब मुख्य धारा में आने का अवसर मिलेगा। जी हां, केंद्र सरकार ने 38 करोड़ असंगठित क्षेत्र के कामगारों को ध्यान में रखते हुए ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने ई-श्रम नामक पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल के माध्यम से देश के सभी कामगारों के लिए एक नेशनल डेटाबेस रिकार्ड बनाया जाएगा। पंजीकृत कामगारों को एक ई-श्रम कार्ड मिलेगा, जिसपर एक यूनिवर्सल एकाउंट नंबर (यूएएन) लिखा होगा। 12 अंकों का ये यूएएन पूरे देश में मान्य होगा। मतलब इससे उन्हें किसी भी राज्य में अपने कौशल के अनुकूल रोजगार पाने में मदद मिलेगी। केवल यही नहीं इसके माध्यम से कामगारों को सामाजिक सुरक्षा संबंधित योजनाओं का लाभ भी मिलेगा।

क्या है संगठित और असंगठित क्षेत्र?

आसान शब्दों में समझें तो असंगठित क्षेत्र का मतलब है ऐसा क्षेत्र जिसका कोई संगठन नहीं है यानि आपको किसी भी प्रकार की सैलरी काम करने के लिए नहीं मिल रही है। बल्कि आप किसी ऐसे काम से जुड़े हुए हैं जिसके अंतर्गत आपके पास हमेशा काम नहीं रहता। वहीं, संगठित क्षेत्र निजी या सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों से मिलकर बनता है जो नियमित वेतन और अन्य लाभ प्राप्त करते हैं जिसमें आपके पास फ्यूचर इंश्योरेंस और ग्रेच्युटी के रूप में अवकाश और सोशल सिक्योरिटी शामिल होती है।

मुफ्त होगा पंजीकरण:

ई-श्रम पोर्टल पंजीकरण के लिए किसी को भी अपनी तरफ से कोई पैसा खर्च नहीं करना होगा यानि ये मुफ्त होगा। वे पोर्टल या एप से सीधा पंजीकरण कर सकते हैं या पास के किसी कॉमन सर्विस सेंटर से सहायता ले सकते हैं, जिन्हें भारत सरकार rs.20 प्रति पंजीकरण देगी। बता दें, देश में कम से कम 3 लाख से ऊपर कॉमन सर्विस सेंटर हैं, उन सभी को इस पूरे में प्रोसेस में इन्वॉल्व किया गया है।अगर किसी तरह की शिकायत है, तो वह भी इसपर दर्ज की जा सकती है। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद कामगारों को भारत सरकार की सोशल सिक्योरिटी स्कीम का फायदा लेने के लिए बार-बार पंजीकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी।

2 लाख रु. का मिलेगा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस:

जैसे ही व्यक्ति पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे वैसे ही उसे दो लाख रुपये का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी मिलेगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने पोर्टल लॉन्चिंग के दौरान बताया कि पीएम मोदी ने इस बात की स्वीकृति दे दी है कि पोर्टल पर रजिस्टर्ड श्रमिक को 2 लाख रुपये का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर दिया जाए। यानि अगर कोई श्रमिक पोर्टल पर रजिस्टर्ड है और वह दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो उसकी मृत्यु या फिर पूर्ण विकलांगता की स्थिति में उसे ये 2 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। वहीं, अगर श्रमिक आंशिक रूप से विकलांग होता है तो उसे योजना के तहत एक लाख रुपये का इंश्योरेंस दिया जाएगा।

कैसे करें रजिस्ट्रेशन?

रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सबसे पहले आपको ई-श्रम की ऑफिशियल वेबसाइट www.eshram.gov.in पर जाना होगा

इसके बाद आपको सेल्फ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर, आधार से जुड़े नंबर से ओटीपी के जरिए लॉग इन करना होगा

इसके बाद आपको 2-3 फॉर्म्स भरने के लिए कहा जायेगा, जिसमें आपकी व्यक्तिगत जानकारी, आवासीय विवरण, शैक्षणिक योग्यता, व्यवसाय, कौशल, किस तरह का काम करना है आदि

अगर आप पोर्टल पर दी गई लिस्ट में अपना कार्य क्षेत्र नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो पीडीएफ के माध्यम से भी अपना कार्य क्षेत्र भी ढूंढ सकते हैं, पीडीएफ में उस कार्य क्षेत्र का कोड कॉपी करके फॉर्म में डाल सकते हैं

ये पीडीएफ आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगी

इसके बाद आपको अपने बैंक खाते की जानकारी भरनी होगी, बैंक खाता संख्या, नाम आदि

जो जानकारी आपने भरी है उसको अच्छे से चेक करने के बाद उसे ओके कर देंगे, तो आपको ओटीपी भी मिलेगा, उस ओटीपी को भरने के बाद आपका कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसमें आपको आपका क्यूआर कोड मिल जायेगा।

टोल फ्री नंबर भी किया गया शुरू:

ई-श्रम पोर्टल पर श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन का कोर्डिनेशन श्रम मंत्रालय, राज्य सरकारों, ट्रेड यूनियनों और सीएससी द्वारा किया जाएगा। इसके साथ श्रमिकों के इस राष्ट्रव्यापी अभियान को सफल बनाने के लिए देश भर में जागरूकता अभियानों की योजना बनाई जाएगी। इसके अलावा, पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन से जुड़ी सहायता और समाधान के लिए एक राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर – 14434 – भी शुरू किया गया है।

अन्य योजनाओं को भी जोड़ा जायेगा:

श्रम कल्याण के महानिदेशक और मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजय तिवारी कहते हैं कि इस सरकारी डेटाबेस में पीएम श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) सहित सामाजिक सुरक्षा (पेंशन, बीमा) योजनाओं को जोड़ा जाएगा। असंगठित कामगार इस डेटाबेस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। श्रम मंत्रालय ने ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के लिए लगभग 404 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है।

देश में पहली बार बनाया जाएगा ऐसा डेटाबेस:

दरअसल, पिछले 20-25 सालों से असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे देश के लगभग 80 प्रतिशत कामगारों का आज तक भी पंजीकरण नहीं हुआ है। 1979 में इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर एक्ट पारित किया गया, लेकिन उसमें कोई बहुत अधिक सफलता नहीं मिल पाई। इसके बाद साल 2008 में अनओर्गनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट पारित किया गया। इसका भी यही उद्देश्य था कि असंगठित क्षेत्र में लाभ मिले, लेकिन इसके अंतर्गत भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। पर अब इस ई-श्रम पोर्टल के जरिये इन मजदूरों को सहूलियत मिलेगी।

इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस पोर्टल से 38 करोड़ लोगों को पहचान मिलेगी। ये एक सेतु बनकर असंगठित कामगारों को नई संभावनाओं और सुखद भविष्य से जोड़ने का काम करेगा।

ईएसआईसी में आ सकते हैं 30 हजार रुपये वेतन पाने वाले कर्मचारी

राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ईएसआईसी) की मेडिकल स्कीम का दायरा बढ़ाकर 30 हजार रुपये वेतन तक करने की तैयारी है। फिलहाल 21 हजार रुपये वेतन पाने वाले कर्मचारी ही इसमें आते हैं। नया प्रस्ताव ईएसआईसी बोर्ड की बैठक में लाया जाएगा। मंजूरी के बाद इसे केन्द्र सरकार को भेजा जाएगा।

ईएसआईसी बोर्ड के सदस्य हरभजन सिंह ने आपके अपने अखबार हिन्दुस्तान को बताया कि सदस्यों ने पहले ही केन्द्रीय श्रम मंत्रालय को सीलिंग बढ़ाने का प्रस्ताव दे दिया है। इस मेडिकल स्कीम से कोरोना काल में कर्मचारियों को खासा फायदा हुआ है। वेतन सीमा बढ़ने से देश में और 20-25 फीसदी कर्मचारी इस दायरे में आ जाएंगे। ईएसआईसी बोर्ड की बैठक सितम्बर में प्रस्तावित है। इसी में प्रस्ताव रखा जाएगा। वेतन सीमा बढ़ने से ईएसआईसी का फंड बढ़ेगा। साथ ही कर्मचारियों और उनके परिवारों को बेहतर इलाज भी मिल सकेगा।

बोर्ड सदस्य के अनुसार, इस समय ईएसआईसी योजना के सदस्य के वेतन से 0.75 फीसदी तो नियोक्ता से 3.25 फीसदी अंश लिया जाता है। पहले यह अंशदान 6.5 फीसदी था। देश में 6 करोड़ कर्मचारी इसके दायरे में हैं। यूपी में 22 लाख कामगारों ईएसआईसी मेडिकल स्कीम का लाभ मिलता है।

ईएसआईसी योजना के तहत मिलने वाले लाभ:

इस समय ईएसआईसी बीमा धारक व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक अशक्तता की स्थिति में उसके पति/पत्नी एवं विधवा मां को जीवन पर्यंत और बच्चों को 25 साल तक की उम्र तक उस कर्मचारी के औसत दैनिक वेतन के 90 प्रतिशत हिस्से के बराबर पेंशन दिया जाता है। कर्मचारी की बेटी होने की स्थिति में उसे उसकी शादी तक यह लाभ दिया जाता है।

ईएसआईसी योजना के तहत बीमा धारक या बीमित व्यक्ति के परिवार के सभी आश्रित सदस्य, जो ईएसआईसी के ऑनलाइन पोर्टल में कोविड बीमारी के निदान और इस रोग के कारण बाद में मौत से पहले पंजीकृत हैं, वे भी काम के दौरान मरने वाले बीमित व्यक्तियों के आश्रितों को प्राप्त होने वाले लाभ और इसे समान स्तर पर ही हासिल करने के हकदार हैं। इसके लिए दो शर्तें पूरी करनी होंगी।

पहली कि आईपी को ईएसआईसी ऑनलाइन पोर्टल पर कोविड रोग के निदान और इसके चलते होने वाली मौत से कम से कम तीन महीने पहले पंजीकृत होना चाहिए। दूसरी कि बीमित व्यक्ति निश्चित तौर पर वेतन के लिए नियोजित होना चाहिए और मृतक बीमित व्यक्ति के संदर्भ में कोविड रोग का पता चलने, जिससे मौत हुई हो, ठीक पूर्ववर्ती एक साल के दौरान कम से कम 78 दिन का अशंदान होना चाहिए।

बीमित व्यक्ति, जो पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं और कोविड बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई है, उनके आश्रित अपने जीवन के दौरान बीमित व्यक्ति के औसत दैनिक वेतन का 90 फीसदी मासिक भुगतान प्राप्त करने के हकदार होंगे। ईपीएफओ की कर्मचारी जमा सहबद्ध बीमा योजना (ईडीएलआई) के तहत इस योजना के सदस्य की मौत होने पर उनके परिवार के सभी जीवित आश्रित सदस्य ईडीएलआई के लाभों को हासिल करने के योग्य होंगे।

स्क्रैप पालिसी में आपका क्या फायदा

पीएम नरेंद्र मोदी ने व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी (Vehicle Scrappage Policy) लांच कर दी है। कहा जा रहा है कि इससे सभी स्टेकहोल्डर को फायदा होगा। Vehicle Scrappage पॉलिसी से ऑटोमोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग इंडस्ट्री (Manufacturing Industry) को भी प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। PM मोदी ने कहा है कि Vehicle Scrappage नीति से रोजगार के अवसरों का भी सृजन होगा। आइए, हम जानते हैं कि इससे ग्राहकों को, मोटर वाहन बनाने वाली कंपनियों को और सरकार को क्या फायदा होगा.

ग्राहकों को क्या है फायदा?

नई स्क्रैप पॉलिसी के तहत स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिखाने पर नई गाड़ी खरीदते वक्त 5 फीसदी छूट जाएगी। गाड़ी स्क्रैप करने पर कीमत का 4-6 फीसदी मालिक को दिया जाएगा। इसके साथ ही नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के वक्त रजिस्ट्रेशन फीस माफ कर दी जाएगी।

रोड टैक्स में मिलेगी छूट?

नई स्क्रैप पॉलिसी के तहत नई गाड़ी लेने पर रोड टैक्स में 3 साल के लिए 25 फीसदी तक छूट की बात कही गई है। राज्य सरकारें प्राइवेट गाड़ियों पर 25 परसेंट और कमर्शल गाड़ियों पर 15 परसेंट तक छूट दे सकते हैं।

मोटर वाहन कंपनियों को क्या फायदा होगा?

इस समय मोटर वाहन कंपनियों को स्टील एवं कुछ अन्य प्रीशस मेटल का आयात करना होता है। पीएम मोदी ने बताया कि पिछले साल करीब 23 हजार करोड़ रुपये का स्क्रैप स्टील भारत को आयात करना पड़ा। भारत में जो स्क्रैपिंग अभी तक होती आ रही है, वह प्रोडक्टिव नहीं है। अब मोटर के स्कैपिंग से प्रोडक्टिव स्क्रैप मिलेगा और मोटर बनाने वाली कंपनियों को कच्चा माल सस्ता मिलेगा।

सरकार को क्या होगा फायदा?

जब लोग पुरानी गाड़ियां स्क्रैप करेंगे और नई गाड़ियां खरीदेंगे तो इससे सरकार को सालाना करीब 40,000 करोड़ का जीएसटी आएगा। इससे सरकार के रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी होगी। स्क्रैप पॉलिसी के दायरे में 20 साल से ज्यादा पुराने लगभग 51 लाख हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) और 15 साल से अधिक पुराने 34 लाख अन्य एलएमवी आएंगे। इसके तहत 15 लाख मीडियम और हैवी मोटर वाहन भी आएंगे जो 15 साल से ज्यादा पुराने हैं और इस समय इनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है।

इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा मिलेगा?

व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी से जो वाहन सड़कों से हटेंगे उनमें से एक बड़े हिस्से के इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाने की उम्मीद है। स्क्रैप पॉलिसी की वजह से पुराने वाहन के सड़क से हटने की वजह से प्रदूषण कम होगा। स्क्रैप पॉलिसी की वजह से पुराने वाहन के सड़क से हटने की वजह से ग्राहक का फ्यूल कॉस्ट घट जाएगा। इस वजह से भारत का क्रूड इंपोर्ट भी कम होगा।

फिटनेस टेस्ट फेल होने पर क्या होगा?

सरकार ने व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को वॉलिएंटरी व्हीकल मॉर्डनाइजेशन प्रोग्राम (VVMP) नाम दिया है। अगर किसी व्यक्ति की गाड़ी फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाती है तो उसे देश भर में 60-70 रजिस्टर्ड स्क्रैप फैसिलिटी में अपनी गाड़ी जमा करना है।

पुरानी गाड़ी देने पर क्या मिलेगा?

पुरानी गाड़ी देने के बदले ग्राहक को एक डिपॉजिट सर्टिफिकेट मिलेगा जो नई गाड़ी खरीदने पर कई तरह के फायदे देगा। पुरानी गाड़ी की स्क्रैप वैल्यू मिलेगी जो नई गाड़ी की एक्स-शोरूम प्राइस के 5 प्रतिशत के बराबर होगी। पुराने व्हीकल को कबाड़ में देने

पर आपको जो डिपॉजिट सर्टिफिकेट मिलेगा, ऑटो कंपनियां उसके बदले आपको नई गाड़ी खरीदते समय एक्स-शोरूम प्राइस के 5% तक का तक का डिस्काउंट देंगी।

नई कार पर कितनी छूट मिलेगी?

स्क्रैप पॉलिसी के हिसाब से पुरानी कार कबाड़ में देने के बाद अगर आप नई कार खरीदते हैं और नई कार की कीमत rs.500000 है तो आपको डिपॉजिट सर्टिफिकेट दिखाने पर rs.25000 का डिस्काउंट मिलेगा। इसके बाद आपको नए वाहन का रजिस्ट्रेशन कराने में छूट मिलेगी।

अमेजन और फ्लिपकार्ट के पर कतरने की तैयारी खत्म होगा मोनोपॉली

देश के ई कॉमर्स बाजार पर सिर्फ दो कंपनियों अमेजॉन फ्लिपकार्ट का बोलबाला बढ़ता देखकर सरकार ने इन कंपनियों के पर कतरने की तैयारी शुरू कर दी।

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक आमद में समानता लाने और मालिकाना ई-कॉमर्स साइट विकल्प के तौर पर प्रदान करने की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है।

वाणिज्य मंत्री के अनुसार सरकार ई-कॉमर्स बाजार में समानता लाने के लिए अपने नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स डिवेलप करने की योजना बनाई है।

वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से ओपन ई-कॉमर्स नेटवर्क की योजना का मकसद व्यापक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के जरिए सामान ही नहीं सेवाओं की भी खरीद-फरोख्त से जुड़े पहलू को बढ़ावा देना है सरकार के मुताबिक डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में जो काम यूपीआई का है वही काम ई-कॉमर्स स्पेस में ओएनजीसी का होगा।

800 अरब डालर के खुदरा बाजार को लेकर ई-कॉमर्स में प्रतिस्पर्धा चीन में पहले से ही शक्ति चीन में अलीबाबा टेंपो एमएलजेट जैसी घरेलू ई-कॉमर्स कंपनियों का बोलबाला हालांकि चीन सरकार ने इनके अत्यधिक को खत्म करने के लिए 1 दिन में कई बदलाव किए है।

भारत में हाल में इन दिनों कारोबारियों के संगठन कैट ने भी कई बार शिकायत दर्ज की जा चुकी है कि बड़ी कंपनियों नियमों को ताक पर रखकर छोटे व्यापारियों को नुकसान पहुंचा रही है।

XXXXXXXXXXXX